**मध्यस्थम अधि० की धारा 11 (1) सपठित धारा 12 (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र**

**(Application u/sec. 11 (1) Read with Section 12 (1) of the Arbitration Act)**

न्यायालय ............

वाद नंबर ............ सन् ............

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

उपरोक्त नामांकित याची निम्न प्रकार सविनय कथन करता है :

1. यह कि वादी/याची और उत्तरदाता के मध्य दिनांक ............ को एक करार हुआ था कि उस दशा में यदि याची और उत्तरदाता के द्वारा किये गये करार में कोई मतभेद उत्पन्न हो तो मामला पंच निर्णय हेतु सभी पक्षकारों की सहमति से नियुक्त किये गये मध्यस्थ को भेजा जायेगा।
2. यह कि मध्यस्थ करार की एक प्रति जो कि उपरोक्त प्रस्तर 1 में अंकित है इस प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी है। जिसे संलग्न ............ अंकित किया गया है।
3. यह कि मध्यस्थ करार के पक्षकारों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण श्री ......... को सभी पक्षकारों की सहमति से मध्यस्था नियुक्त किया गया था।
4. यह कि करार की शर्तों के आधार पर मध्यस्था को चार माह के भीतर अपनी नियुक्ति से, पंच निर्णय दिया जाना चाहिए था।
5. यह कि सभी उचित पत्रादि का अवलोकन करने और पत्रावली के आधार पर अपना पंच निर्णय देने में मध्यस्थ विफल रहा है। दूसरा पक्ष अन्य किसी मध्यस्थ को नियुक्त करने हेतु सहमत नहीं है।

**प्रार्थना :**

अत: विनम्र प्रार्थना है कि श्री ............ मध्यस्थ का नाम व उसके द्वारा की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त कर अन्य किसी व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त करने की कृपा करें।

**दिनाँक** **(प्रार्थी)…..**

**द्वारा अधिवक्ता ............**